



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032020-218917
CG-DL-E-25032020-218917

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1080]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2020/चैत्र 5, 1942

No. 1080]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2020/CHAITRA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 02/2020-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1209(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, और जी एस टी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा. का. नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

- (i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(क) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-”

- (ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक “और (iiक)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा. का. नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 870(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

No. 02/2020—Central Tax (Rate)

G.S.R. 1209(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

- (a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-”

- (b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 354/32/2020- TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: - The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 26/2019 - Central Tax (Rate), dated the 22nd November, 2019 *vide* number G.S.R. 870 (E), dated the 22nd November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 02/2020-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1210(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्यों (iii) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

- (i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(िक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	5	-”

- (ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (iiक)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा. का. नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 871(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

No. 02/2020—Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

- (a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	5	-”

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 354/32/2020- TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: -The principal notification No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 25/2019- Integrated Tax (Rate), dated the 22nd November, 2019 vide number G.S.R. 871(E), dated the 22nd November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 02/2020-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 1211(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) के तहत शक्तियों का प्रयोग कराते हुए, केंद्र सरकार जी एस टी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(िक) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-”

(ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (iiक)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 872(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

No. 02/2020–Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clauses (iv) and (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

- (a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-”

- (b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 354/32/2020- TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: - The principal notification No. 11/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 26/2019-Union Territory Tax (Rate), dated the 22nd November, 2019 vide number G.S.R. 872(E), dated the 22nd November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 02/2020-एकीकृत कर

सा.का.नि. 1212(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुये कि सेवाओं की आपूर्ति पर दोहरे कराधान से बचने के लिए या कराधान न लगाने के लिए या नियमों के अनुपालन में एकरूपता लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, और जी एस टी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर, दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा. का. नि. 748 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी क में, क्रम संख्या 1 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(1)	(2)	(3)
“ 2	वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहाल सेवा की ऐसे व्यक्ति को आपूर्ति जो आगे के कारोबार में इसका उपयोग करे।	सेवा की आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां सेवा को प्राप्त करने वाला अवस्थित होगा।”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

No. 02/2020—Integrated Tax

G.S.R. 1212(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (13) of section 13 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in order to prevent double taxation or non-taxation of the supply of a service, or for the uniform application of rules, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2019-Integrated Tax, dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 748 (E), dated the 30th September, 2019, namely:-

In the said notification, in Table A, after serial number (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“2	Supply of maintenance, repair or overhaul service in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts supplied to a person for use in the course or furtherance of business.	The place of supply of services shall be the location of the recipient of service.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 354/32/2020- TRU]

PRAMOD KUMAR, Director